राजस्व लोक अदालत कैम्प– गोमडी
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री उदय भानु चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 137 / 2012

प्रार्थीनी :–

1 अणसीदेवी पुत्री राउराम उर्फ राउडा पत्नि मांगाराम भील निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा
2.चुकीदेवी पुत्री राउराम उर्फ राउडा पत्नि पेमाराम भील, निवासी साई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1.मृतक छोगा पुत्र राउडा के कायम मुकाम
1/1 सवाराम पुत्र छोगा
1/2 कलाराम पुत्र छोगा
1/3 प्यारी पुत्री छोगा नि कलावा
2.मानाराम पुत्र राउडा भील
3.मृतक हकीया पुत्र राउडा के कायम मुकाम
3/1 बुधाराम पुत्र हकीया
3/2 सकाराम पुत्र हकीया
3/3 चनणाराम पुत्र हकीया
3/4 बबरी देवी बेवा हकीयां
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

दिनांक 21.06.2016

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसनें प्रार्थीगण के पक्ष मे एक मजबूत प्रथम दृष्टया कैस काबिल डिकी की हैं। प्रार्थीया एवं विप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व ग्राम बनीया चारणान व ग्राम करणीसर पटवार क्षेत्र रिछोली के खसरा न0 29/24 रकबा 11.03 बीघा, खसरा न0 31/27 रकबा 20.16 बीघा एवं ग्राम करणीसर के खसरा न0 46 रकबा 0.04 बीघा व खसरा न0 47 रकबा 24.17 बीघा में स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट से स्व. प्रार्थीया के पिता एवं विप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 के दादा, विप्रार्थीगण सं. 2 के पिता व विप्रार्थीगण सं. 3/1 से 3/3 के दादा सं0 3/4 के ससुर राउराम उर्फ राउडा की स्वअर्जित सम्पति रही है। प्रार्थीनी ने अपना सजरा भी पेश किया है स्व. राउडा उर्फ राउराम हिन्दू धर्मावलम्बी थे व उनके उतराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधान शासित होते है। वर्ष सन 1976 मे प्रार्थीया के पिता राउडा का स्वर्गवास हुआ तो राउराम उर्फ राउडा के मृत्यु के बाद प्रार्थीया स्वतः ही स्व. राउडा के पुत्रों छोगा, माना हकीया के साथ हिन्दू विधि से वादग्रस्त कृषि भूमि मे सह संयुक्त काबिज सह खातेदार टिटेन्ट हो गई और संयुक्त रूप से 1/5 व 1/5 हिस्से मे प्रार्थीया का हक निहित हो गये और आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीया स्व राउडा की वैध वारिस काबिज उतराधिकारीगण है विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में हुए गल्त इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर दौराने प्रार्थीया को अपने हक हकूक की भूमी बेचान मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया के दावे का मकसद ही मारा जावेगा, प्रार्थीया को नाहक आर्थिक नुकसान होगा, जिसका मूल्याकंन नकदी मे करना सम्भव नहीं होगा, बिना वजह मुकदमे बाजी मे अभिवृद्धि होगी। प्रार्थीया भूमि पर काबिज है जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है दौराने दावा विप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विप्रार्थीगण के विरूद्व दौरान दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थी सं. 1 ता 4 स्वंय, उनके मजदूर ऐजेन्ट सहयोगी प्रार्थीगण को भूमि पर से बेदखल नहीं करें।

हमने पत्रावली पर रेकर्ड का अवलोकन किया गया। विप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार दर्ज है जिससे सुविधा का सन्तुलन साम्या एवं क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर है।

(उदयभानु चारण)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

Scanned by CamScanner